(c) whether it is a fact that this decision which is a part of the pact signed with the U.S. and the European Union may render a large number of powerloom and handloom weavers jobless; and

(d) if so, the details thereof indicating loss per year to the exchequer for not imposing an excise or special excise duty on textile imports and remedial steps taken to save the domestic industry which is highly labour-intensive and eco-friendly?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (d) The Government is constantly striving to make the domestic textile sector more competitive, through the adoption of a variety of measures. As regards cheap imports, the import duty barrier is still appreciable and imports under the Special Import Licence route, which is quite limited in extent, are also subject to the normal import duty. Besides the market access agreements also provide for the imposition of a specific duty as an alternative to the ad valorem duty, on a whichever is higher principle. This measure has been incorporated in the agreements to discourage the import of low priced textile products and can be resorted to whenever the need arises. Apart from the import duty, an additional duty equivalent to the excise duty etc., paid by the domestic industry, can also be imposed on imports. Because of these reasons the import of textile products under the Special Import Licence scheme is not expected to render a large number of handloom and powerloom weavers jobless.

वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिबंध

3494. श्रीमती सुषमा स्वराज :

श्री राम जेठमलानी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कपड़ा मिलों द्वारा तैयार किए गए कपड़े के निर्यात पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि मिलों द्वारा हैंक यार्न उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं कर लिया जाता ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र की कपड़ा मिलों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) देश में कुल कपास कताई क्षमता कितनी है और इसमें सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की पृथक्-पृथक् क्षमता कितनी-कितनी है;

(च) क्या सरकारी क्षेत्र को हैंक यार्न उत्पादन संबंधी बाध्यता योजना से बाहर रखकर, देश की हैंक यार्न संबंधी मांग को पूरा किया जा सकता है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) सूती धागे के निर्यात के विषय में हैंक यार्न बाध्यता की पूर्ति करना एक प्रमुख शर्त है ।

(ख) भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय के पब्लिक नोटिस संख्या 50 (पी.एन.)/92-97 दिनांक 14-7-94 में यह अनुबंधित है कि सूती धागे के निर्यात के लिए अनुबंधित शर्तों में एक शर्त यह रखी गयी है कि वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित हैंक यार्न बाध्यता की पूर्ति करनी होगी ।

(ग) यह सही नहीं है कि सभी पब्लिक क्षेत्र की कताई मिलों को हैंक यार्न बाध्यता से छूट दी गई है । सरकार ने केवल वस्त्र निगम की मिलों के लिए ही यह निर्णय लिया है कि वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए बाध्यता को आगामी तीन वर्षों में पूरा किया जाए ।

(घ) हैंक यार्न बाध्यता से छूट पाने के अपने अनुरोध को वस्त्र आयुक्त द्वारा रद्द किये जाने के निर्णय के विरोध में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों ने मंत्रालय में याचिका भेजी थी । मंत्रालय ने एन०टी०सी० की समस्याओं और साथ ही विस्तृत पुनर्जीवन नीतियों को मद्दे नजर रखते हुए निगम को कुछ और समय देने का निर्णय लिया । इन परिस्थितियों के अंतर्गत एन.टी.सी. और इनकी इकाईयों को वर्ष 1993–94 और 1994–95 के लिए अपनी हैंक यार्न बाध्यता को आगामी 3 वर्षों अर्थात् 1995–96, 1996–97, 1997–98 में पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए समय दिया और यह भी आदेश दिया गया कि इन प्रत्येक वर्षों में एन.टी.सी. वर्ष 1993–94 और 1994–95 में एक तिहाई की कम आपूर्ति को भी पूरा करते हुए हैंक यार्न अधिसूचना के अनुसार हैंक यार्न बाध्यता की पूर्ति करें । वस्त्र आयुक्त ने मंत्रालाय के इस आदेश के अनुसार एन०टी०सी० को वह हिदायतें दी है कि निगम हैंक यार्न बाध्यता के संबंध में सूचना भेजे और इस संबंध, में एक तिहाई की कमी को पूरा करने हुए अप्रैल-जून, 1995 तिमाही से हैंक यार्न बाध्यता की पूर्ति करे । वस्त्र आयुक्त ने यह भी कहा है कि अप्रैल जून, 1995 से वर्तमान तिमाही के साथ-साथ हैंक यार्न बाध्यता चार समान तिमाहियों में पूरी कर ली जाये ।

(ङ) देश में 28–2–95 की स्थिति के अनुसार वस्त्र मिलों में सूती/मानव निर्मित फाईबर की कताई क्षमता इस प्रकार है :—

क्षेत्र	क्षमता तकुऐ	रोटर	मिलों की संख्या कताई और कम्पोजिट
पब्लिक (एन.टी.सी.बी.आई.सी.एसटीसी)	5917	1500	188
कोपरेटिव	3132	9636	126
प्राइवेट	20574	147096	982
कुल :–	29623	158232	1296

(च) और (छ) यदि प्राइवेट, पब्लिक और सरकारी क्षेत्र हैंक यार्न के उत्पादन के लिए आगे न आऐं तो हथकरघा क्षेत्र में हैंक यार्न की लक्षित आवश्यकता की प्राप्ति कर पाना कठिन होगा । ऐसा अनुमानित है कि हथकरघा उद्योग में प्रति वर्ष लगभग 50 मिलियन किलोग्राम हैंक यार्न की आवश्यकता होती है । इस समय अधिकांश रूप से प्राइवेट, क्षेत्र की मिलों और आंशिक रूप से सरकारी क्षेत्र द्वारा पूर्ति की जाती है । उपलब्धता अब आवश्यकता की क्षति पूर्ति करना है क्योंकि अब प्राइवेट क्षेत्र की मिले ऐसी भी हैं जो न केवल अपनी बाध्यता की पूर्ति करती हैं अपितु उससे भी अधिक उत्पादन करती हैं । इसके साथ-साथ कई मिलें ऐसी हैं जिन्होंने विभिन्न न्यायालयों में स्थगन आदेश ले लिए थे लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार वस्त्र आयुक्त द्वारा स्थगन समाप्त करने की कार्रवाई के उपरान्त उन्होंने अब गत अवधि के लिए किस्तों में हैंक यार्न की पूर्ति करना आरम्भ कर दिया है । यदि कुछ प्राइवेट मिलों द्वारा अतिरिक्त उत्पादन नहीं किया जाता और पिछले बकाया की पूर्ति नहीं की जाती तो हथकरघा क्षेत्र के लिए हैंक यार्न की इस सीमा-तक पूर्ति न हो पाती । अतः यह आवश्यक है कि प्राइवेट, पब्लिक और

सहकारी क्षेत्र सब मिलकर हैंक यानं वाध्यता की पूर्ति करें।

Impact of Gatt Agreement on Garment exports

3495. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what are the prospects of export of garments after the adoption of GATT Agreement by Government of India; and

(b) whether it is a fact that GATT Agreement on textiles is disadvantageous; and the previous export trade was advantageous and profitable for the country?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY) : (a) The Agreement on Textiles and Clothing (ATC) included in the Final Act of the Uruguay Round, envisages complete integration of the textile sector into the multilateral framework of GATT/WTO at the end of a 10 year transition period. By virtue of the provisions of the ATC all textile exporting countries, including India, would get greater access, in stages, in the markets of the importing countries under the MFA. At the end of the transition period of 10 years, the quota system will be completely dismantled. The prospects of garments are good.

(b) No, Sir

वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा

3496. श्री संघ प्रिय गौतम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्रों के निर्यात को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कोई नई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और इस योजना के मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने वस्त्रों के निर्यात के लिए निर्यात संवर्धन परिषद गठित की है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त परिषद के गठन के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वेक्षण कराया है और इस संबंध में सुझाव आमंत्रित किए हैं ; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) जी नहीं। सरकार ने ऐसी कोई नई योजना तैयार नहीं की है। तथापि, वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिसमें क्रेता विक्रेता बैठकों, मेलों व प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल का शुल्क रहित आयात की विशेष व्यवस्था करना, निर्यात ऋण की और अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल है।

(ग) से (च) सरकार ने वस्त्रों तथा क्लोदिंग के निर्यात को बढ़ाने के लिए पहले ही निम्नलिखित 6 टैक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल गठित की हैं :—

(1) अपैरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली।

(2) काटन टैक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, बम्बई।

(3) हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन कांउसिल, मद्रास।

(4) सिन्थेटिक एण्ड रेयन टैक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, बम्बई।

(5) वूल एण्ड वूलन एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, बम्बई।